न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07 / 2018
2018 / 00046

प्रार्थी

1. रता वल्द तोलाजी जाति ब्रहामण निवासी वाड़ा तहसील रानीवाडा जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1. मथरीदेवी पत्नि भीमाराम कौम पुरोहित साकिन वाड़ा तहसील रानीवाड़ा
2. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्राथी अधिवक्ता श्री जबराराम पुरोहित।
2. अप्रार्थी वकिल श्री रमेश कुमार गर्ग।

निर्णय

दिनांक – 18.12.2019

1. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा वाड़ा तहसील रानीवाडा में प्रार्थी की सामलाती खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 181 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142 रकबा 0.21 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर 143 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल रकबा 0.78 हैक्टेयर आई हुई है। उक्त आराजी की खातेदारी जोराराम,रेवाराम पिसरान रगाराम, दिनेश, अर्जुन पिसरान मालाराम, झमका पत्नि मालाराम चंदा पुत्री मालाराम, रता वल्द तौला ,दरगा,रामा,भेमा,पिसरान गणेशा कौम ब्राहमण सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 181,142,143 रकबा 0.78 हैक्टेयर में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी व उक्त आराजी के सहखातेदारान को उक्त आराजी में काश्त करने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता हैं। प्रार्थी की उक्त सामलाती खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 181 के पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 138 के पूर्व दिशा में प्रार्थी व अन्य खातेदारान की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 131 किस्म गै.मु. रास्ता की आई हुई हैं। प्रार्थी उक्त रास्ता खसरा नम्बर 131 से होते हुए अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 138 रकबा 0.33 हैक्टेयर के दक्षिणी माठ के सहारे उक्त आराजी खसरा नम्बर 138 में से होकर अपने आराजी खसरा नम्बर 181 में आवागमन करता था परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 मथरादेवी ने खसरा नम्बर 131 के पश्चिमी हिस्से में अवरोध कारीत कर आवागमन बंद कर दिया हैं, जिससे प्रार्थी अपने उक्त आराजी में काश्त नहीं कर पा रहा हैं। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 181 में आवागमन हेतु मांग किये जाने वाले रास्ते को स्पष्ट करने के लिये प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा परिशिष्ट अ पेश किया जा रहा हैं, जिसमें मार्क ए से बी जो लाल रंग से दर्शित किया गया है। तथा प्रार्थी को नक्शा परिशिष्ट अ में वर्णित मार्क ए से बी स्थान से रास्ता उपलब्ध करवाने की स्थिति में कम आराजी की आवश्यकता पड़ेगी तथा प्रार्थी को कम क्षति पूर्ति भी अदा करनी पड़ेगी एवं यह

निकटतम दूरी का रास्ता हैं। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 को अदालत हाजा के आदेशानुसार क्षतिपूर्ति राशि अदा करने हेतु तैयार हैं। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 181 रकबा 0.30 हैक्टेयर में आवागमन हेतु 12 फीट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 138 रकबा 0.33 हैक्टेयर में से उक्त खसरा नम्बर 138 के दक्षिणी माठ के लगतो लगत नक्शा परिशिष्ट अ में लाल रंग से दर्शित मार्क ए से बी स्थान से दिये जाने के आदेश फरमावें।

2. अप्रार्थी अधिवक्ता श्री रमेश कुमार गर्ग द्वारा आदेश 32 नियम 3 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी मथरीदेवी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, ऐसी स्थिति में अदालत हाजा में सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हो सकती अतः प्राकृतिक न्याय के अनुसार उनके हित को देखा जाना आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी मथरीदेवी के पति भेमाराम पुत्र गणेशाराम को वादार्थ संरक्षक नियुक्त करने का आदेश फरमावे । प्रार्थना पत्र पर बहस कि गई। प्रार्थी वकिल द्वारा प्रार्थना पत्र पर कोई आपति नहीं कि गई । अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 32 नियम 3 सीपीसी का न्यायहित में स्वीकार किया गया तथा अप्रार्थी मथरीदेवी के पति भेराराम पुत्र गणेशाराम को वादार्थ संरक्षक नियुक्त किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार रानीवाडा से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बिन्दुवार जाँच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार रानीवाड़ा से जवाब पत्रांक 5375 दिनाँक 22.8.2019 द्वारा दिया पेश किया गया जिसके तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी श्री रता पुत्र तोला की सहखातेदारी भूमि ग्राम वाड़ा के खसरा नम्बर 142,143,181 है। उक्त खसरे में पहुंचने हेतु राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नही है एवं इन्हे मार्ग की अति आवश्यकता है। उपरोक्त खसरा के आवागमन हेतु नजदीकतम मार्ग सरकारी रेकर्ड रास्ता खसरा नम्बर 131 गै.मू. रास्ता है। तथा खसरा नम्बर 142,143,181 हेतु प्रस्तावित रास्ता के मध्य आने वाला खसरा नम्बर 138 है जो अप्रार्थीया मथरादेवी की खातेदारी भूमि है। तथा रास्ते की लम्बाई और चौड़ाई खसरा नम्बर 138 में 36 मीटर लम्बाई तथा 4 मीटर चौड़ाई कुल क्षेत्रफल 144 वर्गमीटर है। तथा खसरा नम्बर 138 की वर्तमान में डी.एल.सी. 443850 प्रति हैक्टेयर है। प्रस्तावित मार्ग में अन्य कोई संरचना वृक्ष, पहाड़, नाडी नही है।

4. अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की ,खातेदारी खसरा नम्बर 181 में अन्य सहखातेदार है। उक्त प्रार्थना पत्र में अन्य सहखातेदार भी है तथा अप्रार्थी खुद ही पक्षकार है, उक्त आराजी का विधिवत बंटवाड़ा भी नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए न्यायालय में चलने लायक नहीं है। बंटवाड़ा होने पर कौन–खातेदार किस जगह आयेगा उसका स्पष्ट विवरण दिखाई नहीं देता है। अतः प्रार्थी अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है। इनके पूर्व में विद्यमान आवागमन हेतु रास्ता मौजूद है। ऐसी स्थिति में रता खुद प्रार्थना पत्र बाबत् खातेदार को रास्ता देने का हक नहीं रखते अतः उक्त प्रार्थना पत्र विधि संगत नहीं है। खारिज फरमावें।

5. हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी का सामलाती खातेदारी आराजी मौजा वाड़ा के जमाबंदी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 14 खसरा संख्या 142,143,181 कुल रकबा 0.78 हैक्टेयर आई हुई है। उक्त आराजी की खातेदारी जोराराम,रेवाराम पिसरान रगाराम, दिनेश, अर्जुन पिसरान मालाराम, झमका पत्नि

मालाराम चंदा पुत्री मालाराम, रता वल्द तौला ,दरगा,रामा,भेमा,पिसरान गणेशा कौम ब्राहमण सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है।

6. उभय पक्षकारान् अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया । बहस के तथ्यों पर मनन किया गया । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संलग्न मौजा वाड़ा के जमाबंदी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 14 खसरा संख्या 142,143,181 कुल रकबा 0.78 हैक्टेयर आई हुई है। उक्त आराजी की खातेदारी जोराराम,रेवाराम पिसरान रगाराम, दिनेश, अर्जुन पिसरान मालाराम, झमका पत्नि मालाराम चंदा पुत्री मालाराम, रता वल्द तौला ,दरगा,रामा,भेमा,पिसरान गणेशा कौम ब्राहमण सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अन्य सहखातेदारों का प्रार्थीगण के रूप में संयोजित नही किया है। प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकारों के संयोजन के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होना प्रतीत होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकारों के संयोजन के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है। पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2019.12.24 10:41:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: